



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 890]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 30, 2017/कार्तिक 8, 1939

No. 890]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 2017/KARTIKA 8, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 1349(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

नियमों के प्रारूप संशोधनों में अंतर्विष्ट प्रस्ताव पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली- 110003 को या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पते : m.gangeya@gov.in और sonu.singh@nic.in पर भेजे जा सकेंगे ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप संशोधन नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हुए हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। ई-अपशिष्ट (संशोधन) नियम, 2016 प्रस्तावित संशोधन निम्न प्रकार हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ई-अपशिष्ट (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों के नियम 13 में, उपपैरा (1)(i) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“अनुसूची-1 में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्तर का प्रत्येक उत्पादक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप-1 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व- प्राधिकार के लिए आवेदन करेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य 1 अक्टूबर, 2017 से लागू होंगे ;”

3. उक्त नियमों में नियम 13 के अधीन उपनियम 1(xi) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xii) बाजार में अपने उत्पाद को रखने वाला प्रत्येक उत्पादक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) प्राधिकार अभिप्राप्त करने के लिए दायी होगा। यदि उत्पादक ने हाल में प्रचालन आरंभ किए हैं, अर्थात् प्रचालन के वर्षों की संख्या उसके उत्पादों के औसत जीवन से कम है, तो अनुसूची-III(ख) के अनुसार विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) लक्ष्य लागू होगा। ये लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू होंगे। जब उत्पादों का औसत जीवन प्राप्त हो जाता है, तो

पूर्वतर वर्षों में उत्पादकों द्वारा पहले से संगृहीत ई-अपशिष्ट को अनुसूची- 3 के अनुसार हिसाब में लिया जाएगा और तत्समान वर्षों के लिए लक्ष्य नियत करते समय उपयुक्त मुजरों का उपबंध किया जाएगा।”

“(xiii) अंतरण/आस्तियों के विक्रय की अवस्था में उत्पादक द्वारा ईपीआर के अधीन उत्तरदायित्व क्रेता को अंतरित हो जाएंगे।”

4. उक्त नियमों के नियम 13 के अधीन उपनियम (4)(i) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(i) ई-अपशिष्ट का प्रत्येक नवीकरणकर्ता इन नियमों के लागू होने की तिथि से आरंभ होकर एक सौ बीस दिन की अवधि में प्राधिकार प्रदत्त किए जाने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन प्रतियों में प्ररूप 1(क) में आवेदन करेगा, अर्थात्:-”

5. उक्त नियमों में नियम 16 के अधीन, उपनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(9) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खतरनाक पदार्थों की कटौती के उपबंधों के अनुपालन की मानीटर और सत्यापित करने के लिए बाजार में मौजूद विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की अनियमित सैम्पलिंग कराएगा और परीक्षण की लागत को सरकार द्वारा आरओएचएस परीक्षण के संचालन के लिए वहन किया जाएगा। अनियमित प्रतिदर्शी और आरओएचएस का सहन स्तर मूल्य परीक्षण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।”

6. उक्त नियमों के नियम 16 के अधीन उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“यदि उत्पादन लागत खतरनाक पदार्थ की कटौती के उपबंधों का अनुपालन नहीं है, तो आरओएचएस परीक्षण की लागत उत्पादक द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्पादक सुधारात्मक उपस्करों के लिए उत्पादकों को उस दायरे में लाया जाएगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त अवधि में बाजार से उत्पाद को वापस उठा लेगा।”

7. उक्त नियमों के नियम 21 के अधीन उपपैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :-

“विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, वाहक, नवीकरणकर्ता, भंजक और पुनःचक्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों और उसके अधीन निर्मित नियम के किसी उल्लंघन पर वित्तीय शास्तियों को देने के उत्तरदायी होंगे। दायी आस्तियों का व्यतिक्रम समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शक सिद्धांतों में विहित प्रक्रियाओं के अनुसार अवधारित किया जाएगा।”

8. उक्त नियमों के नियम 22 के अधीन उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :-

“केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित निलंबन या रद्द करने के आदेश या प्राधिकार के इंकार करने या इसके नवीकरण से पीड़ित कोई व्यक्ति, उसे प्रदान किए गए आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी अर्थात् सचिव/सचिव प्रतिनिधि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली या राज्य सरकार के सचिव को प्ररूप 7 में अपील कर सकता है।”

9. उक्त नियमों में, नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा :

“केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रकाशित दिशा-निर्देश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ई-अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पृथक्करण, नवीकरण, भंजन, पुनःचक्रण और निपटान के साथ इन समस्त नियमों का कार्यान्वयन होगा।”

10. उक्त नियमों में, अनुसूची III के अधीन विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी :-

क्र.सं.	वर्ष	ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य (संख्या/भार)
(i)	2017-18	वर्धित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में यथानिर्दिष्ट अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 10%
(ii)	2018-19	वर्धित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में यथानिर्दिष्ट अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 20%
(iii)	2019-20	वर्धित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में यथानिर्दिष्ट अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 30%
(iv)	2020-21	वर्धित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में यथानिर्दिष्ट अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 40%
(v)	2021-22	वर्धित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में यथानिर्दिष्ट अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 50%
(vi)	2022-23	वर्धित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में यथानिर्दिष्ट अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 60%
(vii)	2023 से आगे	वर्धित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में यथानिर्दिष्ट अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 70%

11. उक्त नियमों में, अनुसूची-III के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची III(ख) निम्नानुसार अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

**अनुसूची III(ख)**

ऐसे नए उत्पादकों और विद्यमान उत्पादकों, जिन्होंने हाल ही में संक्रिया आरंभ की है, अर्थात् संक्रिया में वर्षों की संख्या, समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लिखित उनके उत्पादों की औसत आयु कम है, के लिए ईपीआर लक्ष्य।

क्र.सं.	वर्ष	ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य (भारत)
(i)	2018-19	वित्तीय वर्ष 2016-17 के विक्रय अंक का 5%
(ii)	2019-20	वित्तीय वर्ष 2017-18 के विक्रय अंक का 5%
(iii)	2020-21	वित्तीय वर्ष 2018-19 के विक्रय अंक का 10%
(iv)	2021-22	वित्तीय वर्ष 2019-20 के विक्रय अंक का 10%
(v)	2022-23	वित्तीय वर्ष 2020-21 के विक्रय अंक का 15%
(vi)	2023-24	वित्तीय वर्ष 2021-22 के विक्रय अंक का 15%
(vii)	2024-25	वित्तीय वर्ष 2022-23 के विक्रय अंक का 20%
(viii)	2025 से आगे	पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के विक्रय अंक का 20%

12. उक्त नियमों में, प्ररूप - 1 में, मद-4 के स्तंभ 2 में, विद्यमान पाठ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लिखित समय पूरा होने की औसत अवधि के समतुल्य अवधि के लिए वर्ष वार बाजार में रखे गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के ब्यौरे।"

13. उक्त नियमों में, प्ररूप-1 में, मद 9(ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट आरओएचएस अनुपालन के समर्थन में उनके द्वारा रखे गए तकनीकी दस्तावेजों के संबंध में घोषणा का उपलब्ध कराया जाना।"

14. उक्त नियमों में, प्ररूप -3 के अधीन विद्यमान सारणी के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"मात्रा मीट्रिक टन (एमटी)"

[फा. सं. 12-16/2017-एचएसएमडी]

रीतेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 338(अ), तारीख 23 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**DRAFT NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2017

**G.S.R. 1349(E).**—In exercise of powers confirmed by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby proposes to amend the E-Waste (Management) Rules, 2016 and the notice is hereby given that the said draft notification shall be taken in to consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the gazette of India are made available to public;

Objections or suggestions on the proposals contained in the draft amendments of rules, if any may be addressed in writing, within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor bagh Road, New Delhi- 110 003 or electronically at e-mail addressed: m.gangeya@gov.in and sonu.singh@nic.in;

The objections and suggestion which may be received from any person with respect to the said draft amendment rules before the expiry of the period so specified shall be considered by the Central Government. The proposed amends to the E-Waste (Management) Rules, 2016 are namely: -

- (1) These rules may be called E-Waste (Management) Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.